प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
देहरादून।

पत्रांक/प्रा.शि./सेवा–2/ 3490 /नियुक्ति पत्र/ 2022–23 दिनांक 13.10.2022

विषय : जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावली 2018 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञप्ति के कम दिनांक 12.10.2022 को आहूत काउन्सिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये जाने हैं।

अतः सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक 12.10.2022 को काउन्सिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in में अपलोड करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नक – चयनित अभ्यथियों की सूची –01–01 प्रति।

भवदीय,

(गजेन्द्र सिंह सौन)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/प्रा.शि./सेवाएँ अराज./ 180 /नियुक्ति/2022-23 दिनांक 13.10.2022

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली -2018 के तहत निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो(2)/19061-75 /148(18)/2018-19 दिनांक 14.12.2018, कार्यालय पत्रांक/प्रा. शि.-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14.09.2021 तथा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक : प्रा.शि.-दो(2)/536-2021/365-71/2022-23 दिनांक 05.04.2022 के अनुसार जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड) में डिप्लोमा एवं सी.टी.ई.टी./यू.टी.ई.टी.-I उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनक्रम रू. 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी, साथ ही एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड) डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हो तथा कक्षा -01 से 05 तक पढ़ाने के लिये उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 02 वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नही होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या/21/XXVII (7)/अ.पै.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पैंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	जाति	नियुक्त विद्यालय का नाम
01	श्री अवनीश कुमार 07.06.1988	श्री सुभाष सिंह	मौ. जुलाहान, जसपुर जनपद- ऊधमसिंहनगर	सामान्य	रा.प्रा.वि.किड़ई कपकोट
02	श्री कमलेश 25.04.1982	श्री गोवर्द्धन	ग्राम व पो. जुनायल जनपद- बागेश्वर।	सामान्य	रा.प्रा.वि., ढौला, कपकोट
03	श्री कुशला प्रसाद 14.11.1989	स्व. श्री राम चन्द भट्ट	ग्राम व पो. -खम्बाखाल प्रताप नगर जनपद-टिहरी गढ़वाल	अ.पि.वर्ग/ सामान्य	रा.प्रा.वि., भटग, कपकोट
04	श्री नीटू राम 20.07.1989	श्री जनेश्वर	ग्राम व पो. हरजौलीजटट जनपद- हरिद्वार	अनु.जाति	रा.प्रा.वि., वदियाकोट, कपकोट
05	पूजा बाम्पाल 10.01.1987	श्री बृजमोहन सिंह बाम्पाल	ग्राम गमसाली पो. बाम्पा जनपद- चमोली	अनु.जनजाति	रा.प्रा.वि., लखनीवगीचा, गरुड़
06	श्री सुधीर कुमार 05.03.1979	श्री कमला प्रसाद	ग्राम काण्डा पो. खोलाचौरी जनपद- पौड़ीगढ़वाल	सामान्य	रा.प्रा.वि., वदियाकोट, कपकोट

(गजेन्द्र सिंह सौन)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./ प्रा.शि./सेवाएँ अराज./ 3491-3518 /नियुक्ति/2022-23 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
03 जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर।
04 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
05 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
06 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर।
07 वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, बागेश्वर।

क्रमशः-2- पर

Scanned with CamScanner

08 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., कपकोट एवं गरूड़ को इस आशय से प्रेषित कि नव नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उनके समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर ले, एवं समस्त प्रमाण पत्रो की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर 01 प्रति कार्यालय मे सुरक्षित रखें।

10 सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस आशय से कि वे अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, कार्यालय मे समयान्तर्गत अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned with CamScanner